


1 म 2121 नो 2165-18/15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल .



नवनीत बाजपेयी आयु 30 वर्ष आठ नारायण प्रसाद

बाजपेयी निवासी रेहटगांव तहसील रेहटगांव

जिला हरदा

----- निगरानी कर्ता

बनाम

1. मुखेश कुमार आठ शंकरलाल राठौर
2. चैनसिंह आठ नारायण प्रसाद बुध्वाह
3. स्वयंभू आठ फूलचंद अग्रवाल
4. विष्णु प्रसाद आठ भागीरथ प्रसाद गौर
5. लक्ष्मी नारायण आठ बाबूलाल नेरिया
6. सरपंच ग्रामपंचायत रेहटगांव
7. सचिव ग्राम पंचायत रेहटगांव
8. राजस्व निरीक्षक रेहटगांव

9. ग्राम पटवारी , हल्का पटवारी नं. 20

क्र. 6 लगायत 9 निवासी रेहटगांव तहसील रेहटगांव

जिला हरदा

----- उत्तरवादी गण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त निगरानी निगरानी कर्ता न्यायालय श्रीमान

अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी के द्वारा रा. प्रसील क्र. 115-बी/121/

2014-15 मे पारित आदेश दिनांक 23.4.15 एवं माननीय आयुक्त

महोदय नर्मदा पुरम संभाग होशंगाबाद के द्वारा अपील क्र. 52/अपील/


वर्ष 2014-15 मे पारित आदेश दिनांक 18.4.2015 से विपरीत ... 2


श्री विश्वास सोनी  
अभिभासक द्वारा

आज दिनांक 25-6-15

कैम्प भोपाल पर

उस्तुत ।

  
25-6-15

  
4-7-15





राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ  
R. 2165 PART 15 प्रकरण क्रमांक..... जिला..... 8291

P

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>29.1.16 कोमल N.M.P. 100</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>अवेक की उत्तर ल श्री विशाल सोनी अभिभाषक एवं अवेक प्रमाण (लगभग 5 स्वयं उपाधित) अवेक के अभिभाषक र प्रमाण नहीं चर्च का सुरोच किया गया। सुरोच खीकार किया जाता है। प्रमाण नही चर्च के कारण समप्त किया जाता है।</p> <p><i>[Signature]</i> अध्यक्ष</p>	<p>P</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>L.N. Komariya</p> <p><del><i>[Signature]</i></del></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>